कार्यालय नगर पालिका परिषद सिवनी–मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

सरदार मांगलिक भवन नीलामी शर्त (वर्ष 2025-26)

संपत्ति का विवरण लीज पर दी जाने वाली सम्पत्ति सरदार मांगलिक भवन,पार्किंग, जैसी है जहां है। (As Is Where Is) स्थिति में उपलब्ध कराई जाएगी।

म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 एवं उसके निर्मित अंतर्गत म.प्र. नगर पालिका (अचल संपत्ति अंतरण) नियम–2016 तथा संशोधन अधिसूचना क्रमांक 08–एफ–01–2016 अठारह –3 भोपाल दिनांक 04 मई 2021 व संशोधन अधिसूचना भोपाल दिनांक 28 मई 2023 के नियमों के अनुसार नगर पालिका द्वारा निर्मित सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग एवं लान सहित को 35 माह की अस्थाई लीज अवधि पर पट्टा (लीज) पर दिये जाने हेतु ई–निविदा।

1. लीज अवधि कुल अवधि 35 माह प्रारंभ तिथि कार्यादेश निर्गम दिनांक से मानी जाएगी।
2. सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग शासकीय न्यूनतम दर ई–निविदा 20,00,000/– अधिक होने पर मान्य किया जावेगा।
3. योग्यता मापदंड (Eligibility Criteria) भारत का नागरिक संचालन हेतु सक्षम हो। पिछले 3 वर्षों में कोई गंभीर आपराधिक प्रकरण या निकाय से निष्कासन नहीं किया गया है।
4. ई–निविदा प्रक्रिया निविदा केवल www.mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित की जाएगी। निविदाकार को पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।निविदा के साथ मांगे गए दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे।
5. आवश्यक दस्तावेज पैन कार्ड, आधार कार्ड / अनुभव प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) शपथ पत्र आपराधिक प्रकरण नहीं होने, नियमों के पालन की सहमति इत्यादि का।
6. नियम 5 अचल सम्पत्ति के अंतरण के लिय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति सें 35 माह बाद ठेकेदार का कार्य संतुष्ट पूर्वक किये जाने पर अगामी 35 माह की अवधि के लिए प्राप्त दर 25 प्रतिशत वृद्वि कर उक्त टेण्डर/ठेके को बढाया जा सकेगा।
7. प्रतिभागी को निर्धारित EMD (Earnest Money Deposit) ऑनलाइन जमा करना होगा। सफल ई निविदाकार को कुल लीज राशि का 25% राशि 03 कार्य दिवस में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. अनुबंध निष्पादन चयनित लीजधारी के साथ ₹1000 के गैर–न्यायिक स्टाम्प पर अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर नगर पालिका द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
9. नियंत्रणाधिकार नगर पालिका को निरीक्षण, नियंत्रण एवं दिशा–निर्देश जारी करने का पूरा अधिकार रहेगा। संपत्ति का दुरुपयोग, क्षति या अनुबंध शर्तों के उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
10. कोई भी व्यक्ति निर्धारित अमानत राशि 1,00,000/– रू. ई–निविदा में भाग ले सकता है। उच्चतम ई–निविदा लगने से ही सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग का आवंटन का हक नही बन जाता है। पट्टेधारी की ई–निविदा स्वीकृति/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद मे सुरक्षित होगा।
11. उच्चतम ई–निविदा वाले व्यक्ति को सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग की ई–निविदा के उपरांत 03 दिवस के अंदर तुरंत बाद अमानत राशि छोडकर 25 प्रतिशत राशि जमा कर 15 दिवस में अनुबंध निष्पादन कराना होगा। साथ ही अनुबंध के समय अनुबंधित राशि में से शेष 75 प्रतिशत राशि की साल्वेंसी/ एफ, डी, आर/बैंक गारंटी आदि कोई भी एक जमा करनी होगी। अमानत राशि अनुबंधित समय सीमा समाप्त होने के बाद मंगल भवन नगर पालिका हेंड ओवर के उपरांत वापस की जावेगी।
12. नगर पालिका अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा 3 दिवस पूर्व सूचित करने पर कार्यक्रम हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराना बंधनकारी होगा।
13. निविदाकार को चेकलिस्ट में दर्शाय गये समस्त दस्तावेज के साथ निविदा प्रक्रिया में भाग लेना बंधनकारी होगा। किसी भी दस्तावेज की कमी होने पर संबंधित की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा न ही किसी भी प्रकार की आपत्ति को मान्य किया जावेगा।
14. मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास यह अधिकार संरक्षित रहेगा की वह बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत /निरस्त कर सकता है।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय का निर्णय निविदाकार को मान्य करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

निविदाकार को **म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 एवं म.प्र. नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018** के विभिन्न नियम एवं शर्तो का पालन करना होगा।

किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेवसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।

निविदा प्रपत्र में वांछित योग्यताधारी निविदादाता ही टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेवे, वाछिंत प्रपत्र के अभाव प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

अपरिहार्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये टेंडर प्रक्रिया में समयावधि को बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रत्येक निविदा के समय निविदाकार को अपलोड किये जा रहे दस्तावेज कम्प्यूटर प्रिंटर द्वारा साफ एवं पढ़ने योग्य तरीके से स्केन कर अपलोड करने होंगे, **सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।**

पट्टाधारी को स्वयं के व्यय पर शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क पर विधिवत सूचना पत्र उपरांत अनुबंध कर पंजीयन कराना होगा।

2. संपत्ति उपयोग की शर्ते संपत्ति का उपयोग केवल सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के व्यवसायिक उप–लीज, अतिक्रमण, या गैर स्वीकृत उपयोग पर लीज रद्द की जा सकेगी।

3. आवंटित की मृत्यु या कोई दुर्घटना होने पर वैध उत्तराधिकारी के पक्ष मे शर्तो की कंडिका 14 मे उपबंधित शर्तो के अधीन वैध उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर खेडापति मांगलिक मंगल भवन का नामातंरण किया जा सकेगा।

24. पट्टाधारी द्वारा सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग के स्वरूप मे किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन नही किया जावेगा। उसे अतिक्रमण मानकर नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही कर हटाया जायेगा और हर्जा खर्चा आवंटित से वसूल किया जावेगा।

25. यदि सम्पत्ति को प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इसकी हुई क्षति को पट्टाधारी को ही वहन करना होगा। इसके लिए नगर पालिका किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही होगी।

26. सम्पत्ति के रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत पर होने वाला व्यय पट्टाधारी द्वारा वहन किया जावेगा जिसकी पूर्व स्वीकृति नगर पालिका अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा।

27. आंवटित स्थल से अधिक भाग का उपयोग करने का अधिकार आवंटित को नही होगा।

28. रखरखाव और संचालन संपत्ति का नियमित रखरखाव, स्वच्छता, सुरक्षा आदि की जिम्मेदारी पूर्णतः लीजधारी की होगी। विद्युत/जल/अन्य यूटिलिटी खर्च भी लीजधारी को ही भुगतान करना होगा।

29. सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग मे होने वाले विद्युत प्रवाह का भुगतान आवंटित को समय पर करना रहेगा।

30. सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग जिस प्रयोजन के लिए आवंटित किया जा रहा है उसी के लिए उपयोग किया जावेगा। अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग में पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।

31. समय समय पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी/ रा. निरिक्षक/उप निरीक्षक/सहा. राजस्व निरीक्षक मंगल भवन निरिक्षण कर सकते है। सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग मे कोई प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त होने पर सामग्री जब्त कर सकते है। एवं आवंटन निरस्त किया जाकर सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग खाली कराया जा सकेगा।

32. म.प्र.नगर पालिका अधिनियम एवं शासन, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन के प्रावधानो के अंतर्गत आचार संहिता का पालन करना होगा व नगर पालिका सिवनी मालवा द्वारा जारी समय समय पर सभी निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

33. ई–निविदा के प्रस्ताव को अमान्य किये जाने पर अग्रिम अमानत/धरोहर जमा राशि व अन्य जमा राशि निविदा प्रस्ताव को अविधिमान्य घोषित किये जाने के 90 दिनों के भीतर वापस की जाएगी किन्तु कोई ब्याज देय नहीं होगा।

34. ई–निविदा में भाग लेने वाले निविदादाता को भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। किसी भी दिवालिया अवयस्क मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्वीकार नहीं की जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

-निविदा और अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करने पर नगर पालिका सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग का वटन निरस्त कर सकेगी तथा सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग का ऐसी स्थिति मे कब्जा हटा सकेगी।

वन का मूल स्वरुप प्रभावित नहीं किया जा सकेगा।

ांति बनाए रखना किरायेदार की जिम्मेदारी होगी।

विदाकार द्वारा सभी बिजली, पानी, मरम्मत, सफाई, इत्यादि की जिम्मेदारी वहन की जाएगी।

रिसर का उपयोग केवल वैधानिक एवं अनुबंध में वर्णित प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा। अवैध गतिविधियों अथवा अनुबंध उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा।

निर्धारित समय अवधि मे राशि जमा नहीं की जाने की स्थिति में ब्याज अधिरोपित करने का अधिकार निकाय को रहेगा।

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, अग्निकांड, चोरी अथवा अन्य हानि की स्थिति में सम्पत्ति सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदारं/संचालक का होगा।

पट्टाधारी को सरदार मांगलिक मंगल भवन पार्किंग की छत पर किसी प्रकार का अधिकार नही होगा।

शासकीय कार्य हेतु आवश्यकता होने पर भवन/परिषर निःशुल्क नगर पालिका को प्रदाय करना होगा।

ई–निविदा की प्रकिया में प्राप्त दरो को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार परिषद् के पास संरक्षित रहेगा।

निविदाकार को सूचना दिनांक से 03 दिवस के भीतर प्रथम किश्त जमा करना होगी, निविदाकार को छटवे माह में दूसरी किश्त तथा 09 वे माह में तृतीय किश्त, 12 माह में आखरी किश्त में संपूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगी।

46. **सफल निविदाकार को दो लाख की बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगी।**
47. ई–निविदा प्रकिया के तहत् सम्पूर्ण अधिकार परिषद् के पास होंगे जो निविदाकारो को मान्य करने होंगे।
48. मांगलिक भवन, पार्किंग, जिस स्थिति में दिया जावेगा उसी स्थिति में आवंटित से वापस लिया जावेगा।
49. नगर पालिका सिवनी मालवा के बकायादार ई–निविदा की प्रक्रिया में बिना NOC के भाग नही ले सकेगे।
50. किसी भी शर्त को जोडने एवं विलोपित करने का पूर्ण अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी को रहेगा।

31/10/25

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सि.मा.
जिला नर्मदापुरम

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद
सिवनी मालवा

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद सि.मा.
जिला नर्मदापुरम

नगर ...
सिवनी मालवा

Scanned with OKEN Scanner

निविदा फॉर्म

नगर पालिका परिषद, सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (मध्यप्रदेश)

सरदार वल्लभ भाई पटैल मांगलिक भवन सिवनी मालवा हेतु नीलामी द्वारा अनुवंध की ई-निविदा

निविदा क्रमांक: ______________ तिथि: ___ / ___ / 2025

निविदा का नाम: सरदार वल्लभ भाई पटैल मांगलिक भवन संचालन हेतु अनुवंध की ई-निविदा कार्यादेश मे 35 माह

फोटो

1. निविदाकार का विवरण:

नाम / संस्था का नाम: ______________________________

पता: ______________________________

मोबाइल नंबर: ______________________________

ईमेल आईडी: ______________________________

2. संलग्न दस्तावेज (सभी स्वप्रमाणित):

1. गुमास्ता/पंजीकरण

3. स्थायी खाता संख्या (PAN कार्ड की प्रति)

PAN: ______________________

4. शपथ पत्र (Affidavit)

यह घोषणा कि निविदाकर्ता ब्लैक लिस्ट में नहीं है एवं समस्त जानकारी सत्य है।

5. संगठन विवरण /

6. एफ.डी.आर. शर्त अनुसार

जारी करने वाली बैंक: ______________________

दिनांक: ______________________

7. आयकर रिटर्न चालू वर्ष

वित्तीय वर्ष: ____________

रिटर्न जमा तिथि: ______

8. वित्तीय बोली (अलग कवर में अपलोड की जाएगी)

आरक्षित मूल्य ₹ 20,00,000/- कुल बोली राशि: ₹ ____________________

9. 2 ब्लैंक चेक (सुरक्षा हेतु)

10. कर्मचारियों स्टॉफ की संपूर्ण जानकारी आधार कार्ड सहित प्रस्तुत करना होगा।

11. घोषणा:

मैं/हम यह सत्यापित करते हैं कि उपरोक्त विवरण सही है और निविदा शर्तों को स्वीकार करते हैं।

निविदाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर..

तारीख: ___ / ___ / 2025 स्थान: ____________________

3008 31/10

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
सिवनी मालवा

नगरपालिका परिषद
सिवनी मालवा

कार्यालय नगर पालिका परिषद् सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

E-mail: cmoseonimalwa@mpurban.gov.in कार्यालय दूरभाष 220249-07570, 220250

क्रमांक 4898/रा./न.पा./2025 सिवनी मालवा दिनांक 03/11/2025

–: प्रथम ई–निविदा आमंत्रण सूचना :–

एतद द्वारा सर्वसाधरण सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद् सिवनी मालवा स्वामित्व वार्ड क्र. 10 स्थित सरदार वल्लभ भाई पटैल मांगलिक भवन (जिस अवस्था में है उसी अवस्था/स्थिति में) 35 माह की अस्थाई लीज अवधि हेतु ऑनलाईन निविदा Https://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जा रही है ।जिस पर दिनांक 03/11 /2025 से 18/11 /2025 तक निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय किये जा सकते है। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन होने की स्थिति में संशोधन का प्रकाशन केवल वेबसाइट पर ही किया जावेगा, समाचार पत्र में किसी भी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं दी जावेगी।

क्र.	टेण्डर क्र.	स्थलों का विवरण/कार्य का विवरण	न्यूनतमदर वार्षिक दर	अमानत राशि	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि
1	2025_UAD_460273_1	सरदार वल्लभ भाई पटैल मांगलिक भवन वार्ड क्र. 10	20,00,000/–	1 लाख	20/11/2025	21/11/2025

नोट :– अन्य जानकारी म.प्र. शासन के ई–निविदा के पोर्टल की बेवसाईट पर एंव विभाग की वेबसाईट WWW.mpurban.gov.in देखी जा सकती है एवं आवश्यक जानकारी एवं शर्ते नगर पालिका सिवनी मालवा की राजस्व शाखा में कार्यालय समय में देखी जा सकती है।

1. **ऐसे व्यक्ति जो निकाय सि. मा. के बकायादार है अथवा पूर्व में दुकानों/अन्य संपत्ति/भवन का आवंटन एवं अनुबंध निष्पादन नही कराया है उनकी निविदा को निरस्त करने का अधिकार निकाय को रहेगा।**
2. **अनुबंध के समय अनुबंधित राशि में से शेष 75 प्रतिशत राशि की साल्वेंसी/एफ,डी,आर/बैकं गारंटी जमा करना अनिवार्य होगा।**

3/11/25

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
सिवनी मालवा

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद
सिवनी मालवा

पृ. क्रमांक ..../रा./न.पा./2025 सिवनी मालवा दिनांक...................

प्रतिलिपि :–

1. संभागीय संयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास नर्मदापुरम संभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण नर्मदापुरम के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. कलेक्टर कार्यालय नर्मदापुरम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. वेब कंटेट मैनेजर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल की ओर उक्त सूचना का प्रकाशन विभाग की वेबसाईट पर किये जाने हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी मालवा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. सम्पादक दैनिक समाचार (1) पत्रिका ....की ओर एक दिवस सामाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
   (2) प्रदेश टाइम्स

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
सिवनी मालवा

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिका परिषद् सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

E-mail: cmoseonimalwa@mpurban.gov.in कार्यालय दूरभाष 220249-07570, 220250

क्रमांक 4898 /रा/न.पा./2025 सिवनी मालवा दिनांक 03/11/2025

—: प्रथम ई—निविदा आमंत्रण सूचना :—

एतद द्वारा सर्वसाधरण सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद् सिवनी मालवा स्वामित्व वार्ड क्र. 10 स्थित सरदार वल्लभ भाई पटैल मांगलिक भवन (जिस अवस्था में है उसी अवस्था/स्थिति में) 35 माह की अस्थाई लीज अवधि हेतु ऑनलाईन निविदा Https://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जा रही है ।जिस पर दिनांक 03/11 /2025 से 18/11 /2025 तक निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय किये जा सकते है। निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन होने की स्थिति में संशोधन का प्रकाशन केवल वेबसाइट पर ही किया जावेगा, समाचार पत्र में किसी भी प्रकार की कोई विज्ञप्ति नहीं दी जावेगी।

क्र.	टेण्डर क्र.	स्थलो का विवरण/कार्य का विवरण	न्यूनतमदर वार्षिक दर	अमानत राशि	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि
1	2025_UAD_460273_1	सरदार वल्लभ भाई पटैल मांगलिक भवन वार्ड क्र. 10	20,00,000/–	1 लाख	20/11/2025	21/11/2025

नोट :— अन्य जानकारी म.प्र. शासन के ई—निविदा के पोर्टल की बेवसाईट पर एंव विभाग की बेवसाईट WWW.mpurban.gov.in देखी जा सकती है एवं आवश्यक जानकारी एवं शर्ते नगर पालिका सिवनी मालवा की राजस्व शाखा में कार्यालय समय में देखी जा सकती है।

1. ऐसे व्यक्ति जो निकाय सि. मा. के बकायादार है अथवा पूर्व में दुकानों/अन्य संपत्ति/भवन का आवंटन एवं अनुबंध निष्पादन नही कराया है उनकी निविदा को निरस्त करने का अधिकार निकाय को रहेगा।
2. अनुबंध के समय अनुबंधित राशि में से शेष 75 प्रतिशत राशि की साल्वेंसी/एफ.डी.आर/बैकं गारंटी जमा करना अनिवार्य होगा।

3/11/25

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
सिवनी मालवा

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद
सिवनी मालवा

पृ.क्रमांक 4899 /रा/न.पा./2025 सिवनी मालवा दिनांक 03/11/2025

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय संयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास नर्मदापुरम संभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण नर्मदापुरम के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. कलेक्टर कार्यालय नर्मदापुरम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. वेब कटेट मैनेजर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल की ओर उक्त सूचना का प्रकाशन विभाग की वेबसाईट पर किये जाने हेतु प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सिवनी मालवा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. सम्पादक दैनिक समाचार ....की ओर एक दिवस सामाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

3/11/2

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
सिवनी मालवा

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद
सिवनी मालवा

Scanned with OKEN Scanner